कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता
विद्युत नगरीय वितरण खण्ड–तृतीय
गोरखपुर

पत्रांक 1316 वि0न0वि0ख0तृ0(गो0)/ दिनांक– 26/6/ 2018

विषयः– खोराबार, गोरखपुर के विद्युतीकरण हेतु (औपचारिकता एवं शर्ते)

श्री अभिषेक सिंह पुत्र श्री हरेन्द्र,
निदेशक मे0 ए0एम0वी0
इन्फाटेक प्रा0लि0,खोराबार,
गोरखपुर।

महोदय,

आप द्वारा प्रेषित विद्युत संयोजन हेतु प्रार्थना **पत्र दिनांक** ....के सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि **स्वीकृत विद्युत भार–425कि0वा0** के विद्युत भार पर **एच0वी0–1.**विधा के लिए स्वीकृत किया गया है।

आपसे अनुरोध है कि कृपया निम्नलिखित वांछित कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करनें का कष्ट करें जिससे आपके विद्युत संयोजन सम्बन्धी अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

1. किसी भी कार्यदिवस को कार्यालय अवधि में अधोलिखित शुल्क डिमाण्ड ड्राफ्ट(डी0डी0) द्वारा जमा करनें का कष्ट करें।
   (i) **Service Line Charge Rs- 615749.00 (15%Supervision charges + H.T. Metering)**
   (ii) **18% G.S.T. Rs- 115960.00**
   (iii) **1% Labour Cess Rs - 27475.00**

   TOTAL Rs- 759184.00
   (रूपया सात लाख उन्सठ हजार एक सौ चौरासी मात्र)
2. पावर उपभोक्ता रू0 100.00 का नान ज्युडिसिएल स्टैम्प पेपर रेवेन्यू स्टैम्प सहित स्वयं कार्यालय मे उपस्थित हों जिससे कारपोरेशन के साथ अनुबन्ध का कार्य पूर्ण किया जा सके एवं साथ में दो ऐसे गवाह भी लावें जो इस विभाग की जानकारी में हों। (लागू/लागू नही)
3. पावर बत्ती विद्युत संयोजन हेतु विभागीय नियमों के अनुपालन का बयानहल्फी प्रस्तुत करना अनिवार्य है। (लागू/लागू नही)
4. लाइसेन्सधारी जिसनें आपके अधिष्ठान में वायरिंग का कार्य पूर्ण किया हो, के द्वारा बी0 एण्ड एल0 फार्म तीन प्रतियों में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। (लागू/लागू नही)
5. रू0..................... का ट्रेजरी चालान धनराशि द्वारा हेड – 043 विद्युत कर व शुल्क (2)भारतीय नियमावलीके अन्तर्गत शुल्क जमा करनें के उपरान्त इस कार्यालय को प्रति उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। (लागू/लागू नही)
6. यदि सम्बन्धित अधिष्ठान (जिसमें विद्युत संयोजन लिया जाना है) पर कोई विद्युत देय बकाया है तो जब तक पुराना बकाया जमा नही होता विद्युत संयोजन अवमुक्त नही किया जाएगा। (लागू/लागू नही)
7. ....के0वी0ए0 क्षमता फी कैपेसिटर लगवानें का प्रमाण पत्र के साथ–साथ प्रार्थना पत्र दिया है तथा संयुक्त प्राक्कलन बनाया गया है, जब तक ये सभी उपभोक्ता भी उपरोक्त औपचारिकता पूर्ण नही कर लेते तब तक विद्युत संयोजन के अवमुक्त करनें की कार्यवाही नही की जाएगी। (लागू/लागू नही)
8. अधिष्ठान के स्वामित्व/किराएदारी/प्लाटधारी का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। (अनिवार्य)
9. यदि ब्रैकेट से कनेक्सन दिया गया हैं, जिस उपभोक्ता के यहॉ ब्रैकेट लगा है उनका कनेक्सन नम्बर बुक नम्बर के साथ साथ अनापत्ती प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। (अनिवार्य)
10. विद्युत संयोजन हेतु लगनें वाला तार यदि किसी अन्य व्यक्ति के जमीन जायदाद से गुजरता है तो उस व्यक्ति द्वारा अनापत्ती प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। (अनिवार्य)
11. यदि विद्युत संयोजन हेतु लाइन खीचते समय किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो लाइन खीचनें का कार्य विभाग द्वारा रोक दिया जाएगा जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी। (अनिवार्य)
12. निगम द्वारा सामग्री मूल्य की बृद्धि की दशा में बढ़ी हुई धनराशि आपको जमा करना होगा। (अनिवार्य)
13. यदि चौदह दिन के अन्दर आप द्वारा उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण नही की जाती है तो समझाा जाएगा कि आप विद्युत संयोजन लेनें हेतु इच्छुक नही हैं एवं आपका प्राक्कलन निरस्त कर दिया जाएगा। (अनिवार्य)
14. पी0वी0सी0 केबिल/ब्रैकेट उपभोक्ता द्वारा देय होगा। (अनिवार्य)
15. **कार्य के दौरान किसी प्रकार का व्यवधान आने पर उसके निराकरण की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धीत आवेदनकर्ता की होगी।(अनिवार्य)**

अधिशासी अभियन्ता

पत्रांक वि0न0वि0ख0तृ0(गो0)/ दिनांक– 2018

प्रतिलिपि उपखण्ड अधिकारी विद्युत नगरीय वितरण उपखण्ड पंचम/षष्ठम गोरखपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित।

अधिशासी अभियन्ता

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
विद्युत नगरीय वितरण खण्ड–तृतीय
पी0एच0–1, मोहद्दीपुर,
गोरखपुर

सं0: /वि0न0वि0ख0तृ0(गो0) दिनांक–

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद सम्प्रति उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के आदेश सं0 469 कार्य–चौदह/पाकालि/2015–6के/2015/निदेशक (वितरण) दिनांक 25.04.2015 के अनुपालन में एवं कार्यालयी पत्रांक 3885 दिनांक 23.09.2015 के अनुक्रम में निम्नलिखित इकाई/पार्टी के पक्ष में अधोलिखित शर्तो/प्रतिबंधों के अधीन विद्युत भार एतद्द्वारा स्वीकृत किया जाता है :–

इकाई/पार्टी का नाम व पता	स्वीकृत विद्युत भार	दर सूची	प्रयोजन	कार्य स्थल
1	2	3	4	5
श्री अभिषेक सिंह पुत्र श्री हरेन्द्र, निदेशक मे0 एम0एम0वी0 इन्फ्राटेक प्रा0लि0, खोराबार, गोरखपुर	425 कि0वा0	एच0वी0–1	वाणिज्यिक बत्ती पंखा	खोराबार,गोरखपुर

{उक्त भार 132 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र, मोहद्दीपुर ओल्ड, गोरखपुर पर स्थापित 40 एम0वी0ए0 परिवर्तक नं0 1 से जुड़े 33 के0वी0 खोराबार पोषक से पोषित 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र खोराबार पर स्थापित 10 एम0वी0ए0 परिवर्तक नं0 1 से पोषित 11 के0वी0 दिव्यनगर–2 पोषक से अवमुक्त किया जायेगा।}

इकाई के परिसर में स्थापित किये जाने वाले परिवर्तक एवं एच0टी0 मीटरिंग तथा लाइन निर्माण सम्बन्धी सम्पूर्ण व्यय उपभोक्ता द्वारा वहन किया जायेगा।

उपरोक्त विद्युत भार की स्वीकृति तथा उसका अवमुक्त करना निम्न शर्तो/प्रतिबन्धो के अधीन है :–

1. विद्युत आपूर्ति संहिता–2005 के अर्न्तगत निहित निर्देशों के अनुसार स्वीकृत भार अवमुक्त किया जायेगा।
2. विरल श्रेणी की इकाईयों द्वारा पीक आवर्स में विद्युत का उपभोग पूर्णतया हर दशा में प्रतिबंधित होगा और इसका उल्लंघन करने पर इकाई का विद्युत कनेक्शन नियमानुसार विच्छेदित कर दिया जायेगा।
3. प्रभावित 400/220/132 के0वी0 उप संस्थानों पर स्थापित ट्रान्सफारमरों की निर्धारित अधिकतम लोडिंग सीमा से अधिक भारित होने की दशा में इकाई की विद्युत आपूर्ति में कटौती की जायेगी।
4. विद्युत प्रणाली ओवरलोडेड होने के कारण इस बात की पूरी सम्भावना है कि इकाई की विद्युत आपूर्ति में ब्रेक–डाउन, लोड–शेडिंग तथा लो–वोल्टेज की समस्यायें विद्यमान रहें।
5. इस स्वीकृति आदेश के निर्गत होने के पश्चात नियम एवं शर्ते दिये जाने की तिथि से तीन माह (90 दिवस) के अन्दर वांछित धनराशि जमा न किये जाने की दशा में स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
6. यदि उपभोक्ता के पक्ष में उक्त विद्युत भार पहले ही स्वीकृत किया जा चुका हो, तो उस दशा में यह आदेश निरस्त माने जायेंगे।
7. उक्त संयोजन को विद्युत आपूर्ति परिषदीय नियमों के अंतर्गत की जायेगी। परन्तु प्रतिकूल परिस्थितियों में विद्युत प्रणाली की सुरक्षा हेतु समय–समय पर आवश्यकतानुसार रोस्टरिंग तथा आपात कालीन रोस्टरिंग की जा सकती है।
8. विद्युत आपूर्ति कारपोरेशन में लागू रेट–शिड्यूल में निहित वोल्टेज पर ही दी जायेगी।
9. उक्त विद्युत भार किसी भी दशा में कारपोरेशन की किसी भी ट्रंक लाइन को टेप करके अवमुक्त नहीं किया जायेगा।
10. किसी भी दशा में शहरी पोषक को नगर पालिका/नगर महापालिका/टाऊन एरिया की सीमा से बाहर बढाकर विद्युत भार अवमुक्त नहीं किया जायेगा।

E.E

11. स्वतंत्र पोषक द्वारा विद्युत भार अवमुक्त करने हेतु कारपोरेशन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
12. यदि कालम–5 में उल्लिखित परिसर/इकाई पर अथवा उपभोक्ता के नाम पहले से कोई कनेक्शन रहा हो, तो उक्त भार तब तक नहीं विमुक्त (रिलीज) किया जायेगा, जब तक कि उस पुराने कनेक्शन अथवा उपभोक्ता के विरूद्ध बकाया निगमीय धनराशि (यदि कोई हो) का पूरा भुगतान न कर दिया जाये।
13. यदि उक्त इकाई/उपभोक्ता और कारपोरेशन के मध्य कोई न्यायिक विवाद अथवा कोर्ट केस लम्बित हो, तो उस दशा में भी विद्युत भार अवमुक्त (रिलीज) नहीं किया जायेगा।
14. कारपोरेशन द्वारा निर्धारित औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात ही विद्युत भार अवमुक्त किया जायेगा।
15. विपरीत प्रणाली दशाओं/आपातकालीन रोस्टरिंग अथवा विद्युत कटौती की स्थिति में आवश्यक विद्युत आवश्यकता/मांग बनायें रखने के लिए उपभोक्ता को परामर्श दिया जाता है कि उपयुक्त क्षमता का/के जनरेटिंग सेट लगा लें जिसके लिए वे कारपोरेशन की पूर्वानुमति अलग से प्राप्त कर सकते हैं।
16. 50 कि.वा. से अधिक भार के संयोजन हेतु पूर्व से ही परिवर्तक क्षमता का आंकलन करके एच.टी मीटरिंग स्थापित करते हुए स्वीकृत भार अवमुक्त किया जायेगा।
17. उक्त भार अवमुक्त करने के पूर्व निदेशक, उ0प्र0 विद्युत सुरक्षा निदेशालय द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता (वितरण) को उपभोक्ता से प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
18. इकाई का स्वीकृत भार अवमुक्त करने हेतु इकाई परिसर में स्वतन्त्र प्रवेश द्वार होगा तथा संयोजन पर नियमानुसार डबल मीटरिंग की जायेगी। कारपोरेशन द्वारा समय–समय पर लागू नियमों एवं रेट शिड्यूल के अनुसार विद्युत बीजक एवं अन्य देयों के भुगतान का दायित्व आवेदक का होगा।
19. यथा प्रस्तावित तलपट मानचित्र आगणित भार की स्वीकृति/वितरण मेन्स का विस्तार/मीटरिंग एवं विद्युत संयंत्रों का अधिग्रहण, लागू परिषदादेशों/निगमादेशों एवं उ0प्र0 विद्युत प्रदाय संहिता 2005 (छठवें संशोधन) में निहित प्राविधानों/सुरक्षा नियमों के अनुसार किया जाय।
20. उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग के पत्र सं0 यू0पी0इ0आर0सी0/सेक्रे0/वी0सी0ए0/2009–3775 दिनांक 22.01.2009 में निहित निर्देशानुसार ड्राई टाइप परिवर्तक स्थापित किया जाय।

(वी0के0 चौधरी)
अधिशासी अभियन्ता

सं0 650 /वि0न0वि0ख0तृ0(गो0)/ तद्दिनांक 16/3/10

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, गोरखपुर।
2. उपखण्ड अधिकारी, विद्युत नगरीय वितरण उपखण्ड–षष्ठम, गोरखपुर को उपरोक्त के सम्बन्ध में प्राक्कलन उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
3. अवर अभियन्ता, 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र खोराबार को उपरोक्त के सम्बन्ध में प्राक्कलन उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
4. मानचित्रक।
5. श्री अभिषेक सिंह पुत्र श्री हरेन्द्र, निदेशक मे0 एम0एम0वी0 इन्फ्राटेक प्रा0लि0, खोराबार, गोरखपुर।

(वी0के0 चौधरी)
अधिशासी अभियन्ता